भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1603
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 (24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

# पचास अतिरिक्त विमानपत्तनों का विकास

1603. **श्री महेश कश्यप:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पचास अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमानपत्तन को पूरा करने के लिए क्या कार्ययोजना और समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मां दंतेश्वरी विमानपत्तन, जगदलपुर के विस्तार हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का उक्त विमानपत्तन से नई विमान सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

## नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

**(**क) : नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है**,** जिसका उद्देश्य देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है**,** जिससे आम जनता के लिए हवाई यात्रा किफायती हो सके। 1000 रुपये करोड़ के बजटीय सहायता के साथ**,** भारत सरकार (जीओआई) ने 03 वर्ष की अवधि अर्थत दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2026 तक 50 से अधिक असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों/हेलीपैडों/वॉटर एरोड्रमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के पुनरुद्धार/विकास के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

**(**ख) : जगदलपुर हवाईअड्डे का स्वामित्व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास है। हवाईअड्डों पर बुनियादी ढांचे/सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है**,** जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा परिचालन आवश्यकताओं**,** यातायात**,** मांग**,** वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किया जाता है।

(ग) : मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन बाजार पूर्णत: विनियमन मुक्त हो गया है। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने तथा बाजार और मार्ग का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी हवाईअड्डे के लिए/से हवाई सेवा शुरू करने का

निर्णय एयरलाइनों द्वारा उनकी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता और एयरलाइनों की अपनी नीति के आधार पर लिया जाता है।

******